

## **\*प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 07.11.2020 जनपद देवरिया\***

दिनांक 06.11.2020 को पुलिस अधीक्षक देवरिया डा0 श्रीपति मिश्र द्वारा कच्ची शराब के निष्कर्षण एवं विक्रय पर अंकुश लगाने व वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु उनके विरुद्ध जनपद देवरिया मे अभियान चलाया गया जिसके क्रम में जनपदीय पुलिस द्वारा त्वरित कार्यवाही किया गया जिसके परिप्रेक्ष्य में-

### **\*01.आबकारी अधिनियम के अंतर्गत:-\***

➔थाना मईल पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त **01.दिवाकर सिंह पुत्र स्व0 केदार नाथ सा0 पड़री गजराज थाना मईल, देवरिया** गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 20 लीटर नाजायज कच्ची शराब बरामद कर चालान न्यायालय करते हुए आवश्यक विधिक कार्यवाही किया गया।

➔थाना बनकटा पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त **01.मणि यादव पुत्र विन्देश्वरी सा0 दमोदरा थाना गुठनी जिला सिवान, बिहार** गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 45 शीशी बण्टी बबली देशी शराब बरामद कर चालान न्यायालय करते हुए आवश्यक विधिक कार्यवाही किया गया।

➔थाना भाटपार रानी पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त **01.जवाहर लाल गुप्ता पुत्र रामप्रसाद सा0 बैदौली बुजुर्ग थाना बनकटा, देवरिया** गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 25 शीशी बण्टी बबली देशी शराब बरामद कर चालान न्यायालय करते हुए आवश्यक विधिक कार्यवाही किया गया

### **\*02.वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी:-\***

दिनांक **06.11.2020** को देवरिया पुलिस द्वारा चलाये गये अभियान में जनपद के विभिन्न थानों द्वारा 02 वांछित अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया, जिनका विवरण निम्नवत है:

➔ थाना बघौचघाट- मु0अ0सं0-133/2020 धारा 363,366 भादवि 01.अमित सिंह पुत्र ध्रुव सिंह सा0 पथरदेवा थाना तरकुलवा, देवरिया।

➔ थाना लार- मु0अ0सं0- 272/2020 धारा 363,376 भादवि व 3/4 पाक्सो ऐक्ट 01.धन्नु वर्मा उर्फ धन्नजय पुत्र गोरख सा0 सलाहाबाद वार्ड नं0-6 थाना सलेमपुर, देवरिया।

### **\*03. निरोधात्मक कार्यवाही-\***

दिनांक 03.11.2020 को देवरिया पुलिस द्वारा चलाये गये अभियान में जनपद के विभिन्न थानों द्वारा निरोधात्मक कार्यवाही की गयी, जिनका विवरण निम्नवत है-

➔ जनपदीय पुलिस द्वारा 151 सीआरपीसी के अन्तर्गत 42 व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही किया गया।

### **\*04. जनपदीय पुलिस द्वारा मोटर वाहन अधिनियम में कार्यवाही-\***

दिनांक 06.11.2020 को जनपदीय पुलिस द्वारा शातिर अपराधियों संदिग्ध व्यक्तियों, संदिग्ध वाहनों के विरुद्ध चेकिंग अभियान चलाया गया, जिसके परिप्रेक्ष्य में जनपद के विभिन्न थानों की पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही का विवरण निम्नवत है-

➔ वाहन चेकिंग के दौरान 152 वाहनों से 153500 रुपये शमन शुल्क (ई-चालान) किया गया।

